

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::


राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.7(1)शिक्षा-2/व्या.स्थाना./2017 जयपुर, दिनांक: 28.12.2017 की पालना में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर किया जाता है ।

SN	नाम व्याख्याता	Subject	कहां से (राजमावि)	कहां को (राजमावि)
1	मनीषा यादव	English	निरवाना, सूरतगढ, श्रीगंगानगर	सिरसी, झोटवाड़ा, जयपुर

नोट:- 1. शाला प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि यदि कार्मिक निर्वाचन संबंधी कार्य में नियुक्त है तो स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्रांक: प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट, दिनांक: 09.10.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिकों को दिनांक: 05.01.2018 के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें ।

2. यदि कार्मिक परीवीक्षाकाल में है तो संस्था प्रधान उन्हें कार्यमुक्त नहीं करें ।

3. यदि कार्मिक ग्रामीण शिक्षा सेवा से सम्बन्धित है तो उन्हें शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त नहीं करें ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-8/पदस्थापन-स्थाना./2017

दिनांक: 02/01/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर
- 2- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-2, विभाग, जयपुर
- 3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4- संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक
- 5- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
- 6- संबंधित प्रधानाचार्य
- 7- प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 8- संबंधित कार्मिक
- 9- निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर